न्यायालय : राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रं. / 2014 . निग॰1733-पीबीआर-14

1. नौमी सिंह पुत्र श्री किशोर सिंह,
2. बैताल सिंह, पुत्र श्री किशोर सिंह, निवासीगण– ग्राम तिघरा बरई, परगना व जिला ग्वालियर (म.प्र.)

---निगरानीकर्ता / ~~रिस्पोंडेन्ट्स~~

बनाम

1. रामश्री पुत्री श्री छोटे पत्नी श्री रामकिशन
2. श्रीमती शीला पुत्री श्री छोटे पत्नी श्री कालीचरण
3. श्रीमती पुष्पा बाई पुत्री श्री छोटे पत्नी श्री कदम सिंह, निवासीगण–नौमहला, घासमण्डी, ग्वालियर
4. श्रीमती मूर्ति पुत्री श्री छोटे पत्नी श्री पूरन सिंह, निवासी–नौमहला, घासमण्डी, ग्वालियर

----~~[illegible]~~

5. जरदान सिंह पुत्र श्री छोटे
6. श्रीमती सावित्री पुत्री श्री छोटे पत्नी किशोर सिंह, निवासी–ग्राम तिघरा बरई, परगना व जिला ग्वालियर (म.प्र.)

----रिस्पोंडेन्ट्स

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 26.6.2014 | यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, घाटीगॉव जिला ग्वालियर व्दारा प्र0 क0 45/2011—12 अपील में पारित आदेश दि. 28—5—13 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 6—6—14 को प्रस्तुत की गई है।<br>2/ अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर एंव निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि आवेदकगण ग्रामीण होकर अनपढ़ है उन्हे आदेश दिनांक 28.5.13 की जानकारी अभिभाषक के बाने पर 4—6—13 को हुई तदुपरांत 5.6.14 को नकल का आवेदन देने एंव नकल प्राप्त होने पर निगरानी की गई है इसलिये 28.5.13 से 4.6.13 तक का समय मुजरा कर निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जावे।<br>3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अवधि विधान की धारा—5 के आवेदन के अवलोकन पर पाया गया कि इस आवेदन के साथ पुष्टिकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र पर आवेदक बेताल सिंह ने हिन्दी में स्पष्ट हस्ताक्षर किये हैं जिसके कारण यह तथ्य बेबुनियाद प्रतीत होता है कि आवेदकगण पढ़े—लिखे नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28—5—13 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अंतिम पद के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश आवेदक बेतालसिंह ने यथासमय टीप किया है | |

शाक्षंमुग्वा-80-फासंग्वा-15-6-10-5,000 प्रपत्र.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1733 / PBR / 2014 जिला ग्वालियर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

एंव सुनवाई हेतु आगामी पेशी 6–6 13 टीप की है, जिसके कारण यह नहीं माना जा सकता सकता कि आवेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28 5 13 की जानकारी 4–6–13 को हुई है। वैसे भी आवेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आगे की कार्यवाही के दौरान अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण समय वाह्य प्रस्तुत निगरानी पर द्वित्तीय पक्ष के हितों के विपरीत नहीं लिया जा सकता।

1. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 धारा 47 आदेश की जानकारी का दिनांक एंव उसका साक्षी श्रोत साबित नहीं किया गया विलम्ब क्षमा योग्य नहीं है।
2. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 अंतिम तर्क उपरांत आदेश हेतु तिथी नियत अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अभिभाषक के अभिज्ञान में है आदेश नियत दिनांक को अभिभाषक ने टीप नहीं किया– आदेश की सूचना होना जाना मानी जावेगी ।
3. म0प्र0 भू राज संहिता,1959–सहपठित 47- अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी समय वाह्य पाये जाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर